(3)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र कुमार डांगा आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 23/2021

अपीलान्टस

1. धर्माराम पुत्र स्व. श्री शंकरराम
2. गोमादेवी पुत्री स्व.श्री शंकरराम
3. मीमोदेवी पुत्री स्व.श्री शंकरराम
4. चौथी पुत्री स्व.श्री शंकरराम
5. बाबूड़ी पुत्री स्व..श्री शंकरराम
6. पुखाराम के कायम मुकाम–
   6/1–मनोहर पुत्र श्री पुखाराम
   6/2–मागूडी पुत्री श्री पुखाराम
   6/3–सुनील पुत्र श्री पुखाराम
   6/4–सुशीला पुत्री श्री पुखाराम
7. पन्नाराम के कायम मुकाम–
   7/1–स्वरूप पुत्र श्री पन्नाराम
   7/2–अर्जुनराम पुत्र श्री पन्नाराम
   7/3–हरिशचन्द्र पुत्र श्री पन्नाराम
   7/4–रूपादेवी पुत्री श्री पन्नाराम
   7/5–दाखु देवी पत्नि श्री पन्नाराम
   समस्त जातियान–नायक
   निवासीगण–ग्राम अणवाणा
   तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. महेन्द्र पुत्र श्री भोजाराम
   जाति–भील
   निवासी–ग्राम अणवाणा
   तहसील व जिला जोधपुर
2. चौथाराम पुत्र श्री केशाराम
   जाति–नायक
   निवासी ग्राम अणवाणा
   तहसील व जिला जोधपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी
   जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1952 ग्राम अणवाणा दिनांक 19.08.2020 तहसीलदार बावड़ी द्वारा स्वीकृत को निरस्त किया जाने हेतु।

उपस्थितिः– 1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री हुक्माराम प्रजापत उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.आर.विश्नोई उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:44:26 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांकः 23.03.2022

अपीलान्टस धर्माराम पुत्र स्व.श्री शंकरराम जाति नायक निवासी ग्राम अणवाणा तहसील व जिला जोधपुर वगैरह की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्टस महेन्द्र पुत्र श्री भोजाराम जाति भील निवासी ग्राम अणवाणा

तहसील व जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध तहसीलदार बावड़ी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1952 ग्राम अणवाणा दिनांक 19.08.2020 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अणवाणा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 718 रकबा 0.3479 व खसरा नम्बर 718/2 रकबा 1.1326 हैक्टर भूमि आयी हुई है। वर्तमान जमाबन्दी में जसाराम पुत्र मूलाराम 1/3, पुरखाराम पुत्र केसाराम 1/12, पन्नाराम पुत्र केसाराम 1/2, महेन्द्र पुत्र भोजाराम 1/6, शंकरराम पुत्र मूलाराम 1/3 के नाम दर्ज तथा शंकरराम पुत्र मूलाराम पन्नाराम पुत्र मूलाराम फौत हो चुके है तथा इनका फौतेदगी नामान्तरकरण राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं भरा गया है इस कारण से इनके विधिक वारिसान को अपील में पक्षकार बनाया गया है। पुरखाराम के कायम मुकाम व पुत्र केसाराम, पन्नाराम पुत्र केसाराम, महेन्द्र पुत्र भोजाराम की जाति राजस्व रेकर्ड में भील अंकित है तथा रेस्पोडेन्ट शंकरराम पुत्र मूलाराम की जाति नायक अंकित है। चौथाराम पुत्र केसाराम के द्वारा बेचान महेन्द्रराम पुत्र भोजाराम किया गया चूंकि चौथाराम जाति से नायक था तथा महेन्द्रराम जाति से भील है इस कारण बेचान धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरित होने के कारण बेचान प्रारम्भ से ही शून्य है। उपरोक्त बेचान द्वारा जो नामान्तकरण संख्या 1952 भरा गया वह अवैध व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई किये व बिना दस्तावेज तथा मौके का निरीक्षण किये स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अपीलान्ट की सामलाती भूमि का बिना बंटवाड़ा किये बेचान किया गया है तथा मौके पर मौखिक बंटवाड़ा अनुसार अपीलान्ट के कब्जे में भूमि आई हुई है इसलिए अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार है। अपीलान्ट द्वारा अपने नाम फौतेदगी नामान्तरकरण भरवाने के लिए दिनांक 26.07.2021 को राजस्व कर्मचारियों से मिलने पर अपीलान्ट की मौके पर काबिज भूमि को चौथाराम द्वारा गलत तरीके से महेन्द्रराम भील को बेचान करने की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर फर्जी नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु अपील पेश की गयी है। अतः अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार बावड़ी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1952 ग्राम अणवाणा दिनांक 19.08.2020 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:44:26 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री हुक्माराम प्रजापत ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार बावड़ी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1952 ग्राम अणवाणा दिनांक 19.08.2020 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

राजस्व अपील संख्या 23/2021 अनवान धर्माराम वगैरह बनाम महेन्द्र वगैरह

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.आर.विश्नोई ने अपनी बहस में अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस व अपील में कहे तथ्यों से असहमत होते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1952 ग्राम अणवाणा दिनांक 19.08.2020 सही भरा गया है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज की जाकर तहसीलदार बावड़ी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1952 ग्राम अणवाणा दिनांक 19.08.2020 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर प्रस्तुत तथ्यों व अभिलेख का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 718 व 718/2 में क्रमशः 0.3479 व 1.1326 बीघा बारानी प्रथम भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 चौथाराम पुत्र केशाराम द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 01 महेन्द्र पुत्र भोजाराम को बेचान करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 03 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बावड़ी द्वारा दिनांक 19.08.2020 को नामान्तरकरण संख्या 1952 ग्राम अणवाणा स्वीकृत किया गया है। अपीलान्टस द्वारा अपनी अपील में बताया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की जाति राजस्व रेकर्ड में भील अंकित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जाति से नायक है इसलिए बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विपरित होने से उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध स्वीकृत होने से निरस्त योग्य है, नायब तहसीलदार बावड़ी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महेन्द्र पुत्र भोजाराम की जाति राजस्व रेकर्ड में नायक दर्ज है। अपीलान्टस ने जाति का ऐसा कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे की उक्त बेचान स्पष्ट रूप से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन स्थापित हो। अतः अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:44:26 IST
Reason: SelfAttested